पत्र संख्या-विधि-4(1) परिपत्र भाग-3/ 2011-12/830/**1112055** / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तरप्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक: **सितम्बर 09** ,2011

आदेश

वाणिज्य कर विभाग की शासकीय वेबसाइट पर प्रस्तुत किये जाने वाले रिटर्नो के डिजिटल हस्ताक्षर से भिन्न माध्यम से अधिप्रमाणन (authentication) के लिए उ0प्र0 वैट नियमावली के नियम-45 के उप-नियम-(12-A)(b) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवश्यक व्यवस्था निर्धारित करने एवं साथ ही व्यापारियों को केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली 1957 में निर्धारित फार्म-सी आन-लाइन जारी करने के लिए उनके user registration की प्रक्रिया निर्धारित करने के उद्देश्य से निम्न आदेश दिये जाते हैं :--

(i) प्रत्येक व्यापारी, जो डिजिटल हस्ताक्षर से भिन्न माध्यम से आन-लाइन प्रस्तुत किए गये रिटर्न को अधिप्रमाणित (authenticate) करना चाहता है, को इस हेतु विभाग से Password प्राप्त करना होगा।

(ii) Password प्राप्त करने के लिए व्यापारी को वेबसाइट पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र में ऑन लाइन आवेदन करना होगा। यदि व्यापारी केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-7(2) के अन्तर्गत पंजीकृत है तो उसे इस प्रार्थना पत्र के निर्धारित कालम में उन वस्तुओं, जिनकी खरीद के लिए वह केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, का विवरण भरते हुए प्रार्थना पत्र का स्वहस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट भी कर निर्धारण अधिकारी को 7 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि प्रस्तुत पत्र में उल्लिखित उक्त प्रार्थना पत्र में घोषित वस्तुएं केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित वस्तुओं से भिन्न पायी जाती हैं, तो यह माना जायेगा कि व्यापारी आलोच्य प्रार्थना पत्र आन -लाइन प्रस्तुत करने की तिथि से प्रार्थना पत्र में अंकित वस्तुओं के लिए ही पंजीकृत रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारी का यह प्रार्थना पत्र केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली 1957 के नियम-7(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी माना जायेगा।

(iv) यदि आन- लाइन प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य पूर्ण व सही हैं तो उन व्यापारियों, जो केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं, के मामले में Password स्वत: सृजित होकर प्रार्थना पत्र में दिए गये ई-मेल पते पर चला जायेगा।

(v) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-7(2) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों के मामले में प्रार्थना पत्र का हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट प्राप्त होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी जॉच की जायगी एवं यदि इसमें कोई ऐसी वस्तु सम्मिलित पायी जाती है जिसे पंजीयन प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर सम्बन्धित वस्तु को केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में सम्मिलित करने या न करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण कर लिए जाने के बाद जब विभागीय सर्वर पर वस्तुओं के विवरण को अन्तिम रुप से स्वीकृति दे दी जायेगी, तो अन्य विवरण सही होने पर विभागीय सर्वर से Password स्वत: सृजित होकर प्रार्थना पत्र में दिए गये ई-मेल पते पर चला जायेगा।

(vi) व्यापारी द्वारा उक्त Password तथा User ID के रुप में अपने TIN का प्रयोग करते हुये जो रिटर्न विभाग की शासकीय वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जायेगा, वह व्यापारी द्वारा अधिप्रमाणित (authenticated) माना जायेगा यदि रिटर्न की वेबसाइट से जनरेट हुई रसीद हस्ताक्षरित करके रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि के 10 दिन के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है। यह रसीद कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय के सुविधा केन्द्र पर प्रस्तुत की जायेगी

अथवा डाक या कुरियर के माध्यम से इस प्रकार प्रेषित की जायेगी कि वह निर्धारित अवधि के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हो जाय ।

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-7(2) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी इसी Password का प्रयोग करके आन-लाइन फार्म- सी डाउन लोड कर सकेगें ।

(vii) प्रस्तर-(ii) एवं प्रस्तर-(vi) में उल्लिखित प्रार्थना पत्र एवं रसीद उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी जो वैट अधिनियम के नियम-32 के उप नियम (6) के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हो ।

(viii) यदि कोई व्यापारी यह आदेश जारी करने के पूर्व से ही वेबसाइट से Password प्राप्त करके आन-लाइन रिटर्न प्रस्तुत कर रहा है तो उसे नया Password लेना आवश्यक न होगा, परन्तु यदि व्यापारी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-7(2) में पंजीकृत है तो उसे प्रस्तर-(ii) में उल्लिखित प्रार्थना पत्र में आवेदन करते हुए इसका हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । ऐसे मामलों में व्यापारी को नया Password जारी नहीं किया जायेगा, परन्तु व्यापारी के प्रार्थना पत्र की जांच में यदि कोई वस्तु केन्द्रीय पंजीयन प्रार्थना पत्र में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे प्रस्तर-(v) में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जायेगा ।

(ix) व्यापारी द्वारा उक्त Password को वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया से स्वेच्छा से बदला जा सकेगा । सुरक्षा कारणों से निर्देशित किए जाने पर व्यापारी को अपना Password अनिवार्य रुप से बदलना होगा ।

(x) यदि कोई व्यापारी विभाग द्वारा अधिकृत की गयी किसी संस्था के माध्यम से आन-लाइनरिटर्न फाइल करता है तो उसे अपना Password इस्तेमाल करना आवश्यक न होगा तथा संस्था को दिये गये Password के माध्यम से दाखिल किये गये आन- लाइन रिटर्न को व्यापारी द्वारा अधिप्रमाणित माना जायेगा यदि व्यापारी द्वारा प्रस्तर (vi) में निर्धारित व्यवस्था के अनुरुप रिटर्न की वेबसाइट से जनरेट हुई रसीद कर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दी जाती है ।

(अनिल संत)

कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

<u>पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक ,उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(7) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
(8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0 नु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / अस्स्टिेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0 नु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(10) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।

(15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।

(16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।

(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(19) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।

(20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।

(21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।

(22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293 मीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।

(23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।

(24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।

(25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।

(26) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलस़ाफा लखनऊ।

(27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।

(28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।

(29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।

(30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।

(31) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।

(32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।

(33) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।

(34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

(35) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर

(36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।

(37) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

(38) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।

(39) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

(40) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।

(41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी ।

(42) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उार प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।

(43) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।

(44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(45) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(47) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(48) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(49) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(53) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(55) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।

(56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ ।

(57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।

(58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(59) श्री दिनेश चन्द्र मिाल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(60) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(बी0एन0 द्विवेदी)
ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।